

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 37 / 2017

RCMS No- 2017/00285

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 भावेश पुत्र श्री मांगीलाल कुमावत(विक्रेता) मैसर्स- मां कृपा मेडिकोज, बांगड अस्पताल के सामने, मोहनोत मेन्सेन दुकान नं0 4, सुरजपोल पाली 2 फतेहराज पुत्र रूघाराज प्रजापत (मालिक) मां कृपा मेडिकोज, बांगड अस्पताल के सामने, मोहनोत मेन्सेन दुकान नं0 4, सुरजपोल पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित



—: निर्णय :-

दिनांक 23/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 16.09.2016 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स- मां कृपा मेडिकोज, बांगड अस्पताल के सामने, मोहनोत मेन्सेन दुकान नं0 4, सुरजपोल पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां आम जन को बिक्री हेतु रखा गया प्रोटीन फूड सप्लीमेन्ट (Brand Dailypro) के आठ मूल पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय किया, जिसकी कीमत 1127/- अप्रार्थी संख्या 1 को नगद देकर रसीद प्राप्त की। उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-571 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया प्रोटीन फूड सप्लीमेन्ट (Brand Dailypro) के नमूने को Mis Sub standard as it contains less quality of protein than declared and Misbranded under section

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

3(1)(zf) (c)(i) of food safety and standards act, 2011 स्तर का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standard and Mis Branded प्रोटीन फूड सप्लीमेन्ट (Brand Dailypro) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.09.2016 को अप्रार्थी की फर्म से प्रोटीन फूड सप्लीमेन्ट (Brand Dailypro) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-571 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1154/एक्ट/2016/1190 दिनांक 19.10.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-571 को Sub standard and Mis Branded under section 3(1)(zf) (c)(i) of food safety and standards act, 2011 स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।



परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रोटीन फूड सप्लीमेन्ट (Brand Dailypro) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र कुल 3,00,000/- तीन लाख रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/11/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली